न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
कैम्प कोर्ट, रीवा (म0प्र0)

R 5003-पीबीआर/15

अपील
24.8.15

1. सुशीला देवी पत्नी स्व. श्री कोदूलाल दुबे उम्र 65 वर्ष

2. राकेश दुबे तनय स्व0 श्री कोदूलाल दुबे उम्र 40 वर्ष

3. राजेश दुबे तनय स्व0 श्री कोदूलाल दुबे उम्र 35 वर्ष

सभी निवासी ग्राम व्यंकट नगर, तहसील जैतहरी, जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

4. श्रीमती सीमा मिश्रा पुत्री स्व श्री कोदूलाल दुबे निवासी ग्राम मझौली, तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म0प्र0)

5. मीना दुबे पत्नी श्री दिलीप दुबे पुत्री स्व0 श्री कोदूलाल दुबे निवासी चित्रकूट जिला–बांदा उत्तरप्रदेश

6. संगीता तिवारी पत्नी श्रीराम तिवारी पुत्री श्री कोदूलाल दुबे निवासी बेलगहना जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

7. रेनू तिवारी पत्नी श्री राजेन्द्र तिवारी पुत्री श्री कोदूलाल दुबे निवासी बेलगहना जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

..............................आवेदक गण

<u>बनाम</u>

1. मनोज गुप्ता तनय श्री कृष्णपाल गुप्ता उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम व्यंकट नगर, तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर (म0प्र0)

2. आनन्द कुमार साहू तनय श्री रामलाल साहू उम्र 43 वर्ष

3. श्रीमती शांती बाई बेवा सीताराम साहू उम्र 65 वर्ष

4. नरेश साहू आत्मज सीताराम साहू उम्र 41 वर्ष, सभी निवासी ग्राम लहसुना, तहसील जैतहरी, जिला अनुपपुर (म0प्र0)

5. कृष्णाबाई पुत्री सीताराम साहू पति हरिशंकर प्रसाद साहू निवासी पंजाबी गुरुद्वारा के सामने, घरौला मोहल्ला, शहडोल, जिला–शहडोल (म0प्र0)

6. किरणलता साहू पुत्री सीताराम साहू पत्नी बेवा गौरीशंकर साहू (चना वाले) निवासी हरदेवलाल मंदिर के पीछे गोल बाजार, बिलासपुर जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

..................................अनावेदकगण

श्री कृष्णपाल .... एड द्वारा आज दिनांक 25.8.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील/निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर महोदय, शहडोल संभाग–शहडोल (म0प्र0) के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 33/अपील/2009–10 आदेश दिनांक 27.01.2015 कोदूलाल दुबे बनाम मनोज गुप्ता वगैरहा

निगरानी/अपील अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिंता 1959 ई0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5003–तीन/2015 जिला शहडोल

सुशीला देवी आदि विरूद्ध मनोज गुप्ता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–3–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण कमांक 33/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 27–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त शहडोल के प्रकरण में आवेदक कोदूलाल पक्षकार था, परन्तु इस न्यायालय में कोदूलाल के वारिसों की ओर से निगरानी लगभग 5 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आयुक्त ने आवेदक अभिभाषक के तर्क सुनने के पश्चात अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश को स्थिर रखते हुये अपील आधारहीन होने से अमान्य की है। जहां तक आवेदक अभिभाषक के मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित होने के तर्क का प्रश्न है अपर आयुक्त ने आवेदक अभिभाषक के तर्क सुनने के पश्चात ही आदेश पारित किया है। यदि आवेदक की मृत्यु प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान हो गई थी तब आवेदकों को जो कि कोदूलाल की पत्नी तथा पुत्र पुत्रियां है, कोदूलाल की मृत्यु की जानकारी आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की बल्कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–1–2005 के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24–8–15 को निगरानी प्रस्तुत की। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का आधार न होने एवं निगरानी समयावधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	